1

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 11.07.15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य भासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना :–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना होगा।

1.2 योजना के अंतर्गत रूपये 15,000/–प्रति विवाह सहायता देय होगी।

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

2 योजना हेतु पात्रता :–

2.1 यह योजना महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक के स्वयं के विवाह अथवा ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिए लागू होगी।

2.2 पंजीबद्ध महिला कर्मकार के स्वयं के विवाह अथवा एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध कर्मकार की दो पुत्रियों की सीमा तक लाभ प्राप्त करनें की पात्रता होगी।

3 योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

3.1 आवेदिका/आवेदक को विवाह के प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व आवेदन करना होगा।

3.2 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदिका महिला कर्मकार के स्वयं अथवा ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक के स्वयं का होना चाहिए।

3.3 महिला कर्मकार स्वयं आवेदिका होने पर स्वयं का अथवा आवेदिका हिताधिकारी की पुत्री होने पर पिता/माता के परिचय पत्र का पंजीयन कमांक अंकित करना होगा।

3.4 निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

4 भुगतान की प्रकिया–

संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के स्वयं के खाते में अथवा हिताधिकारी की पुत्री होने पर पिता/माता के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित् किया जावेगा।

5 विसंगति का निराकरण–

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

10/3/15

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16
नया रायपुर, दिनांक 11.03.15

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी............... ....(छ0ग0)
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
10. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कश्ट करें।

10/3/15

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग